न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 748/2017

प्रार्थीगण :

1. मांगीलाल पुत्र लाबुराम
2. रखाराम पुत्र लाबुराम
3. उगराराम पुत्र लाबुराम
4. पेमाराम पुत्र लाबुराम

जातियान मेघवाल निवासीगण मादलिया तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीगण :

1. अमराराम पुत्र शंकरराम
2. चम्पालाल पुत्र शंकरराम
3. हरकुदेवी पत्नि शंकराम
4. बाबुलाल पुत्र मोहनराम
5. हड़मानराम पुत्र मोहनराम
6. कानाराम पुत्र मोहनराम
7. दुर्गादेवी पुत्री मोहनराम
8. मिरगली पुत्री मोहनराम
9. गटुदेवी पत्नि मोहनराम
10. भीयाराम पुत्र दयाराम
11. ओगड़राम पुत्र आईदानराम
12. पोकरराम पुत्र आईदानराम
13. पूनाराम पुत्र आईदानराम
14. बस्ताराम पुत्र भूराराम
15. चिमनाराम पुत्र भूराराम
16. रामनिवास पुत्र भूराराम
17. हापूराम पुत्र भूराराम
18. केसुड़ी पत्नि भूराराम (फौत) के कायम मुकाम पहले से ही इस पत्रावली में संयोजित है ।
19. विद्या पुत्री भूराराम
20. गलकाई पत्नि रामदीन (फौत) के कायम मुकाम पहले से ही इस पत्रावली में संयोजित है।
21. ढ़गलाराम पुत्र रामदीन
22. रामपाल पुत्र रामदीन
23. रतनाराम पुत्र रामदीन
24. नाथी देवी पत्नि चिमनाराम

जातियान मेघवाल (भाम्बी) नि. मादलिया तहसील पीपाड़ शहर।

25. भूमिधारी जरिये, तहसीलदार पीपाड़ शहर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :

श्री संग्रामसिंह चौहान प्रार्थीगण की ओर से
श्री बक्तावरसिंह जाखड़ अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 28.06.2019

प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ''क'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम मादलिया सीमा में स्थित ख न 382, 382/1, 385, 387/1, 383, 384 व 368 आयी हुई हैं। जो प्रार्थीगण के खातेदारीसुदा व कब्जासुदा जमीन हैं! प्रार्थीगण अपने खेतों में आने जाने के लिए खेतों के उत्तरी दिशा में स्थित ख न 328 गै मु रास्ता जो कटाणी रास्ता हैं, जाने के लिये प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खेत ख न 364 जिसका रकबा कुल 16 बिघा 12 बिस्वा हैं में से होकर प्रार्थीगण के खेतों तक आने व जाने के लिये ख न 364 के पश्चिमी तरफ माठ के सहारे–सहारे रास्ते करीब 30 फीट का उपयोग व उपभोग करते थे एवं इसी प्रकार अप्रार्थीगण के खेत ख न 364 के पूर्वी माठ के सहारे सहारे भी 30 फीट चौड़ा

उपखण्ड अधिकारी

का रास्ता का उपयोग एवं उपभोग करते हुए प्रार्थीगण अपने खेतों में आते जाते हैं। अप्रार्थीगण पूर्व में भी इस रास्ते को कभी बंद तो कभी संकड़ा कर देते थे, तो कभी खोल देते थे। लेकिन दिनांक 20.5.2014 को अप्रार्थी संख्या 1 से 24 में से अप्रार्थी संख्या 14, 15, 16, 17 ने ऐलानिया धमकी दी कि यह रास्ता कटाणी नहीं है, इसलिए हम इस रास्ते में से आने-जाने नहीं देगें व रास्ता पूर्णतया बंद कर दिया। जो ख न 363 को अप्रार्थी संख्या 24 द्वारा इसी दिन ऐलानिया धमकी देकर रास्ते को बंद कर दिया गया। जिससे प्रार्थीगण को अपने खेतों में ट्यूबवेल पर, रहवासीय मकानों में आने-जाने में पूर्णतया व्यवधान उत्पन्न हो गया। व कृषि उत्पाद लाने ले जाने के लिये आवागमन के साधन ट्रेक्टर-टोली, छकड़ा इत्यादि में विघ्न उत्पन्न हो गया। प्रार्थीगण का बैंको में ऋण लिया हुआ हैं। जिसका भुगतान करना बिना कृषि कार्य किये, बिना फसल उत्पादन के भरना मुश्किल हो गया हैं, जिसे खोलने हेतु मजबूरन न्यायालय हाजा की शरण में आना पड़ा। प्रार्थीगण के खेतों में आने-जाने के लिये संलग्न नजरी नक्शें के मार्क लाल स्याही से दर्शाये डॉट-डॉट के निशान जो ख न 363, 364 में अलग-अलग दर्शित हैं, इसमें से न्यूनतम माप वाले किसी भी एक रास्ते को 30 फीट की चौड़ाई तक रास्ता घोषित करवाये जाने हेतु प्रार्थीगण सरकारी दर से अप्रार्थीगण को इस रास्ते की जमीन की भरपाई प्रतिफल देकर या इसकी एवज में अपने खातेदारीसुदा व कब्जासुदा भूमि जो अप्रार्थीगण के खेत से चिपती हो इनके नाम रजिस्ट्रर्ड बेचान रास्ते के प्रतिफल के रूप में करने को तैयार हैं। प्रार्थीगण का उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण के खेतों में आने-जाने हेतु ख न 387/1 तक जो अप्रार्थीगण के खेत ख न 364 अथवा 363 में से होकर उत्तर दिशा में स्थित कटाणी रास्ते तक जाने हेतु 30 फीट चौड़ा रास्ता जो कदीमी से विद्यमान रहा हैं लेकिन हाल ही में अप्रार्थीगण द्वारा बन्द कर दिया गया हैं, उसे नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित डॉट-डॉट के अनुसार न्यूनतम लम्बाई का 30 फीट चौड़ा कोई एक रास्ता घोषित फरमाये जाने हेतु व राजस्व रेकर्ड दर्ज कर ट्रेस नक्शे में रास्ता तरमीम करवाये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 24 को व राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करवाने हेतु अप्रार्थी संख्या 25 को आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 17, 18, 11 से 24 के सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । अप्रार्थी सं. 4, 5, 6, 9, 10, की ओर से वकील बक्तावरसिंह जाखड़ ने वकालतनामा प्रस्तुत किया । अप्रार्थी सं. 4 से 6 व 9, 10 की ओर से वकील बक्तावरसिंह जाखड़ ने जबाव प्रस्तुत किया है कि ग्राम मादिलया की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 382, 382/1, 385, 387/1, 383, 384, व 368 प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन है तथा खसरा नम्बर 365, 381, 369, 393, 394, अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन है । ग्राम मादलिया से गढ़सूरीया जाने वाने कटाणी रास्ता से चिपता अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 365 व इसके चिपते पूर्व तरफ अप्रार्थी सं. 14 की खातेदारी कब्जासुद जमीन है । इस प्रकार अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नम्बर 365, 369 में से उत्तरी पूर्वी तरफ से होकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 368 व 382, 384, 385, 387/1, में आ जा सकते है जो सबसे नजदीकी व सुलभतम रास्ता है । अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की कोई धमकी नही दी है । अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता घोषित फरमावें जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के खेतो में आने जाने का निकटतक व सुलभतम रास्ता रहेगा ।

अप्रार्थी संख्या 25 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट/जवाब प्रस्तुत किया जो इस प्रकार हैं कि ख न 363 रकबा 10.02 बिघा खातेदार ढ़गलाराम, रामपाल , रतनाराम पिता रामदीन , दाखूदेवी, केलीदेवी पुत्रिया रामदीन, नाथी पत्नि चिमनाराम जाति मेघवाल के नाम दर्ज हैं। ख न 363 के मौके पर दो हिस्से किये हुए

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

है। पूर्व की तरफ नाथी पत्नि चिमनाराम का कब्जाकाश्त हैं एवं पश्चिम की तरफ ढगलाराम वगैरा का हिस्सा बीच में पत्थरों की कच्ची दिवार बनाकर कब्जाकाश्त हैं। ख न 363, 364 के पूर्वी हिस्से में नाथी पत्नि चिमनाराम के कब्जेवाली भूमि के उत्तर की मेड़ पर ख न 328 गै मु रास्ता लगता हैं। ख न 364 रकबा 16.12 बिघा खातेदार अमराराम वगैरा जमाबंदी के खाता 4 अनुसार दर्ज हैं। ख न 364 के मौके पर 4 हिस्से किये हुए हैं। खसरे के पश्चिमी मेड़ पर बस्तीराम पुत्र भूराराम का हिस्सा व कब्जाकाश्त हैं। ख न 363 व 364 के मध्य मेड़ पर चार खेजड़ी के पेड़, चार बेर के पेड़ हैं। दावे अनुसार रास्ते की मांग ख न 363 व 364 के मध्य मेड़ के दोनो तरफ दोनो खसरों में से जिस खसरे की मेड़ की लम्बाई कम हैं वहा से 30 फीट रास्ते की मांग हैं। अतः दोनो खसरों के मध्य मेड़ होने से दोनो की लम्बाई समान(बराबर) हैं, परन्तु ख न 387/1 रकबा 6.13 बिघा खातेदार मांगीलाल पुत्र लाबूराम जाति मेघवाल ख न 364 के मेड़ से लगता हैं। अतः प्रस्तावित रास्ता ख न 364 रकबा 16.12 बिघा खातेदार अमराराम वगैरा में से किया जाता हैं। नक्शे एवं मौके अनुसार ख न 364 की पश्चिमी मेड़ की लम्बाई 86 गट्टा व प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 4 गट्टा। रास्ते का क्षैत्रफल ए से बी 86 गट्टा क्षैत्रफल लम्बाई ग चौड़ाई 86 x 4 = 344 वर्ग गट्टा हैं। अतः रास्ते हेतु कुल भूमि 17 बिस्वा 4 बिस्वांशी रास्ते हेतु सिंचित भूमि हैं।

अप्रार्थीगणो द्वारा इस न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 23.05.2016 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर में अपील की । माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.04.2017 द्वारा पत्रावली पुनः इस न्यायालय में इस आदेश के साथ पुनः प्रेषित की कि अपील अपीलान्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जावें और अप्रार्थी सं. 20 के विधिक कायम मुकाम सहित समस्त पक्षकारो को पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर न्यायोचित निर्णय पारित की जावें । प्रकरण में भू.अभिलेख बोरून्दा से पुनः मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाई गयी । जो इस प्रकार से है कि :– खसरा नम्बर 387/1 के खातेदार को नजदीक व सुगम रास्ते के प्रस्ताव नजरी नक्शा ए से बी प्रस्तावित रास्ता चौड़ाई 2 गट्टा । दिनांक 16.03.2016 की रिपोर्ट के अनुसार ही वर्तमान प्रस्ताव तैयार किया, परन्तु रास्ता की चौड़ाई 2 गट्टा (13 फीट) प्रस्तावित है एवं लम्बाई 86 गट्टा है जो खसरा नम्बर 364 में प्रस्तावित है । दिनांक 24.12.2017 को की गई रिपोर्ट में लाल स्याही से अंकित रास्ता प्रस्ताव की लम्बाई चौड़ाई निम्नानुसार है :–

खसरा नम्बर	लम्बाई (गट्टा)	चौड़ाई (गट्टा)	रास्ते का क्षैत्रफल	बीघा, बिस्वांसी,
385	72	2	144	0.07.04
369	84	2	168	0.08.08
382	38	2	76	0.03.16
				0.19.08

तीनो खसरो में से 19 बिस्वा 08 बिस्वांसी भूमि रास्ता हेतु प्रस्तावित थी । नये प्रस्ताव के अनुसार बिन्दु ए से बी की दूरी 86 गट्टा है । चौड़ाई 2 गट्टा = 86 X 2 = 172 गट्टा 08 बिस्वा 12 बिस्वासी बनता है । पूर्व में रास्ते की चौड़ाई 4 गट्टा प्रस्तावित की गयी थी जिसे रकबा 17 बिस्वा 04 बिस्वांसी बताया । नये प्रस्ताव के अनुसार खसरा नम्बर 364 में से 08 बिस्वा 12 बिस्वांसी भूमि प्रस्तावित है । उक्त खसरा सिचित है । वर्तमान DLC दर ग्राम मादलिया की सिचित – 1,161,237/– प्रति हैक्टयर है एवं असिंचित – 1,08,418/– प्रति हैक्टयर है । 08 बिस्वा 12 बिस्वांसी का = 0.0696 हैक्टयर है । भूमि कीमत 0.0696 X 161237 = 11222 रूपये है ।

वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी मय पक्षकारान उपस्थित होकर एक राजीनामा प्रस्तुत किया कि मुताबिक राजीनामा अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है तो हम पक्षकारो को कोई आपति नही है । आपस में सहमत है । राजीनामा इस प्रकार से है कि ग्राम मादलिया से गढ़सूरीया जाने वाले कच्चे रास्ते से खसरा नम्बर 365 में से पूर्व तरफ से होकर खसरा नम्बर 364 में से उत्तरी तरफ से होकर खसरा नम्बर 382 में उत्तरी व

उपखण्ड अधिकारी
(जोधपुर)

Scanned by CamScanner

पश्चिमी सीमा में से होकर खसरानम्बर 384 में से पश्चिमी सीमा से होकर खसरा नम्बर 386 में से पूर्व सीमा से होकर खसरा नम्बर 393 तक रास्ता घोषित किया जाता है तो हम सहमत है । राजीनामा के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार रास्ता राजस्व रेकर्ड में घोषित फरमाया जावें ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर के कमिश्नर रिपोर्ट एवं पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं। पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मय संलग्न नजरी नक्शा अनुसार ग्राम मादलिया में प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 382, 382/1, 385, 387/1, 383, 384 व 368 में आने जाने हेतु ग्राम मादलिया से गढ़सूरीया जाने वाले कच्चे रास्ते से खसरा नम्बर 365 में से पूर्व तरफ से होकर खसरा नम्बर 364 में से उत्तरी तरफ से होकर खसरा नम्बर 382 में उत्तरी व पश्चिमी सीमा में से होकर खसरानम्बर 384 में से पश्चिमी सीमा से होकर खसरा नम्बर 386 में से पूर्व सीमा से होकर खसरा नम्बर 393 तक रास्ता घोषित किया जाता है। पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मय नजरी नक्शा को निर्णय का भाग समझा जावें। रास्ते के काम आयी भूमि की DLC दर अनुसार मालियत की गणना कर राशि जरिये चैक/डी.डी. द्वारा तहसीलदार पीपाड़ शहर अप्रार्थीगण को भुगतान करे । प्रार्थीगण चैक/डी.डी. अलग–अलग अप्रार्थीगणों के नाम तैयार करवाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को प्रस्तुत करे। उक्त रास्ते की भूमि तरमीम कर तहसीलदार पीपाड़ शहर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो, खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करे।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)